



936

समदा :- न्यायालय श्रीमान म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर कम्प सागर
निगरानी सागर अक्टूबर 2017 3185

श्रीमति कुसुमरानी पति टीकाराम
निवासी- ग्राम गड्ढहरा रैयतवारी तहसील सागर
जिला सागर म०प्र० -- आवेदिका

॥ वनाम ॥

म०प्र० शासन

- (१) निर्भय सींग पिता चुरामन यादव (फौत)
- (२) बलराम पिता चुरामन यादव
- (३) रामदयाल पिता चुरामन यादव
- (४) सीताराम पिता चुरामन यादव
- (५) टीकाराम पिता चुरामन यादव
- (६) तिलक सींग पिता हरप्रसाद यादव
- (७) मिट्टू पिता लक्ष्मण हरिजन
- (८) कामलसींग पिता चुरामन यादव

सभी निवासी- ग्राम गड्ढहरा रैयतवारी तहसील वा जिला सागर म०प्र०

--- अनारक्षण

ग्राम गड्ढहरा रैयतवारी

प्रस्तुत दिनांक

तहसील वा जिला सागर म०प्र०

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक :

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा ५० म०प्र० द्वारा संविदा १९५६ -

पुनरीक्षण का संचिप्त विवाण

उपरोक्त पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर जिला सागर म०प्र० के ग०प्र० क्र०: ४२-आ६(अ) वषां १४-१५ ग्राम गड्ढहरा रैयतवारी तहसील वा जिला सागर म०प्र० के फाअर श्रीमति कुसुमरानी वनाम म०प्र० शासन, निर्भय सींग वगैरह में पाठित आदेश दिनांक ३१ मार्च २०१७ के अवैध आदेश से परिवेदित होकर निम्नलिखित सत्यात्मक एवं विधिपक्ष तथ्यों के आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जाकर एक नवीन आदेश पारित किये जाने हेतु

Handwritten notes and signatures on the left side of the page.

B.O.R. 11 JUL 2017

Vertical text and stamp on the left side, including 'सागर' and 'राजस्व'.

163 11/7/17

Handwritten mark or signature at the bottom left.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/3185

कुसुमरानी

विरुद्ध

शासन व निर्भय सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 42/अ-6(अ)/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 31-03-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	

3

(आर.के.जैन)
सदस्य
07/3/19